न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपी/डिक्री/टी.ए./3657/2003/बून्दी

मूर्ति मंदिर गोपाल स्थान मांगरोल शोरती की बावड़ी शाश्वत नाबालिग जरिये व्यवस्थापक व आसन्न बन्धु पुजारी श्री पूरन प्रकाश पुत्र दीपचन्द बैरागी, मांगरोल जिला बारां।

अपीलार्थी

बनाम

भूपेन्द्र कुमार निम्बार्क पुत्र राम गोपाल निम्बार्क (1) पी–33 आई0एल0 बाउण्ड्री के पास, कोटा।

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री जे.के. पारीक वकील अपीलार्थी
श्री अभिषेक शर्मा वकील प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 19.03.2020

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 132/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी की ओर से न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), बारां के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी भूपेन्द्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील मांगरोल में स्थित भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नंबर 223 रकबा 1.36 हैक्टर तथा खसरा नंबर 209/910 रकबा 0.40 हैक्टर वादी अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अपीलार्थी/वादी मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है, जिसकी सेवा पूजा पूरन प्रकाश बतौर पुजारी करता है। गत 3 वर्ष से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने विवादित भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर

रखा है। अतः प्रतिवादी को विवादित भूमि से बेदखल किया जावे और कब्जा वादी को दिलाया जावे। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2000 द्वारा वाद विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी एकपक्षीय डिक्री कर दिया तथा विवादित भूमि से प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को बेदखल करने और कब्जा वादी/अपीलार्थी को दिलाये जाने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2003 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में समक्ष पेश की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी कारण के परीक्षण न्यायालय को यह निर्देश देने में भारी भूल की है कि विवादित भूमि का कब्जा देवस्थान विभाग या तहसील स्तरीय समिति को दिलाया जावे और अतिक्रमी से प्राप्त धन राशि भी मूर्ति मंदिर के नाम बैंक खाते में जमा करवाई जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया है जिसके पश्चात् वे कोई आदेश या आज्ञा पारित करने में सक्षम नहीं थी। उनका यह भी कथन है कि अपील न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अपीलार्थी मूर्ति मंदिर के व्यवस्थापक, आसन्न बन्धु व पुजारी नहीं है तथा आसन्न बन्धु एवं पूरन प्रकाश की व्यवस्थापक व पुजारी की हैसियत साबित नहीं है। जबकि परीक्षण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट के पक्ष में दावा स्वीकार कर डिक्री किया है। उनका कथन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2003 बाबत निरस्ती अपील बहाल रखा जाये तथा निर्देश बाबत विवादित भूमि का कब्जा देवस्थान विभाग या तहसील स्तरीय समिति को कब्जा दिलाये जाने का आदेश एवं अतिक्रमी से प्राप्त धनराशि मूर्ति मंदिर के नाम बैंक खाते में जमा कराये जाने के निर्देश जो अपील न्यायालय ने पारित किये है, को निरस्त फरमाया जावे व न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) बारां के निर्णय व डिक्री दिनंक 16–11–2000 को न्याय हित में बहाल रखा जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी ने जो जमाबंदी पेश की थी उसमें अपीलांट का कहीं नाम नहीं है तथा न ही उक्त मंदिर का पुजारी पूरन प्रकाश है, न ही उसने कोई मंदिर की सेवा पूजा की है केवल मात्र मंदिर

की जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया है। उनका कथन है कि जमाबंदी संवत 2053–56 में विवादित भूमि मात्र मंदिर श्री गोपाल जी स्थान मांगरोल शोरती की बावड़ी के खाते में दर्ज है जिनके खाते में खसरा नंबर 200, 222, 223, 224, 209 कुल किता 5 कुल रकबा 6.31 आराजी दर्ज है जबकि अपीलार्थी/वादी ने जो दावा किया उसमें खसरा नंबर 222/1.56 है0, 223/1.35 है0 तथा 209/910/0. 40 है0 दर्ज किया गया है। बाकी अन्य खसरा नंबरान के संबंध में कोई हवाला नहीं दिया गया है जिससे साफ जाहिर है कि प्रत्यर्थी ने गलत व झूठे तथ्य बताकर केवल मात्र मंदिर की जमीन हड़पने की नीयत से दावा पेश किया है। उनका यह भी कथन है कि रामगोपाल जी के दो लड़के और है जो श्रीकिशन व सत्येन्द्र है तथा उनकी दो लड़कियां विमला व विजयलक्ष्मी भी है उनको अपीलार्थी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी दावा चलने योग्य नहीं था तथा खारिज होने योग्य था परन्तु इन तथ्यों को दरनकिनार रखते हुए दावा स्वीकार कर डिक्री पारित करने में परीक्षण न्यायालय ने विधिक भूल की है। उनका कथन है कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी छिपाया गया कि प्रत्यर्थी के पिता रामगोपाल व वादी के बीच जमीन का बंटवारा हो गया था जिसमें खसरा नंबर 224 की 1.60 है0, 220 की 1.40 है0 जिसका पुराना नंबर 196 रकबा 10.19 बीघा तथा 146 की 9.8 बीघा जमीन अपीलार्थी/वादी को मिली और एक तहरीर लिखी गई जिस पर अपीलार्थी ने दस्तखत किये तथा बाकी की जमीन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी के पिता रामगोपाल को मिली तथा अपीलार्थी के मन में अब बदनीयती आ जाने के कारण उसने बिल्कुल झूठा दावा अदालत में पेश किया तथा इसके अलावा सेवा पूजा के संबंध में भी एक तहरीर 19–5–66 को लिखी गई थी। उसके आधार पर ही मंदिर की सेवा पूजा की जा रही है। उनका कथन है कि प्रथम अपलीय न्याायलय के समक्ष भी इन्हीं तथ्यों को पेश किया गया था परन्तु बिना विवेचन किये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी की अपील को खारिज किया है।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि विवादित आराजी मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है। मंदिर श्री गोपाल जी स्थान मांगरोल शोरती की बावड़ी खातेदार के नाम अंकित है। मंदिर मूर्ति की भूमि के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राद्भूत नहीं हो सकते है और न ही कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से मनमानी अवधि तक काबिज रह सकता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने देवस्थान विभाग या तहसील स्तरीय समिति

को कब्जा देने का निर्देश दिया है जिसको प्रश्नगत करने का अपीलार्थी को एकःमेव अधिकार नहीं है।

7. मंदिर मूर्ति की भूमि की देखभाल के बारे में देवस्थान विभाग का संदर्भ देना अविधिसम्मत नहीं है। मंदिर मूर्ति के नाम बैंक खाते में राशि जमा कराये जाने में अपीलांट को कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। देवस्थान विभाग मंदिरों की भूमियों की व्यवस्था व देखभाल करता है और उस बारे में वह अपने स्तर पर समुचित दिशानिर्देश देता है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं की है जिसमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जा सके।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25–6–2003 बहाल रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य